तीसरा अध्याय : एलजीबीटीक्यू जन (LGBTQ) : अस्मिता और अधिकार की लड़ाई

तीसरा अध्याय : एलजीबीटीक्यू जन (LGBTQ) : अस्मिता और अधिकार की लड़ाई

वैसे तो बहुत वर्षों तक एलजीबीटीक्यूजन भारतीय समाज में उपेक्षित थे। भारतीय समाज की मुख्य धारा प्रकट रूप में एलजीबीटीक्यूजन के अस्मिता और अधिकार पर विचार करना गवारा नहीं समझती थी। एक तरह से समाज एलजीबीटीक्यूजन को मानसिक रोगी, विकृति का शिकार मनुष्य समझता था। दबे-छिपे तौर पर यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में थी लेकिन खुलकर कोई भी इस पक्ष को स्वीकार करने या बात करने के लिए तैयार नहीं था। एक तरह से यह समाज में मनुष्य का एक अंधकार पक्ष था जिसे अप्राकृतिक, अनुचित और अशोभनीय माना जाता था। इधर के दिनों में विचारों के बढ़ते क्रम में, विमर्शों की दुनिया में जब एलजीबीटीक्यूजन ने अपना स्थान सुरक्षित किया उसके पश्चात समाज में इस मसले पर खुलकर चर्चा-परिचर्चा शुरू हुई। और कुछ तथाकथित आधुनिकतावादी लोगों के हस्तक्षेप के उपरांत आज एलजीबीटीक्यूजन के अस्मिता और अधिकार तथा मानसिक, शारीरिक और नागरिक अधिकार संबंधी प्रश्नों पर भी हमारा समाज बातचीत करने की अवस्था में आया है। कानूनन सुरक्षा मिलने के बावजूद अब भी यथार्थ स्थिति यह है कि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा इस विषय को खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा हैं। पर सकारात्मक यह है कि शहरों में रहने वाले कुछ तथाकथित बौद्धिक लोग इस पक्ष पर विचार कर रहे हैं और इस समुदाय के लोगों को भारतीय समाज के मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की कोशिशों में संलग्न हैं।

पश्चिम में : कानून एवं आंदोलन

1290 में इंग्लैंड में पुरुषों में परस्पर यौन संबंधों को एक अपराध के रूप में दर्ज किया गया था और इसके लिए जिंदा जला देने की सज़ा तय की गयी थी। 1533 और फिर 1563 में बदलाव करते हुए फांसी

की सज़ा का प्रावधान हुआ। 1861 में इंग्लैंड में मृत्युदंड हटा दिया गया पर समलैंगिकता एक आपराधिक कृत्य बना रहा। उसी कानून का विस्तार है धारा 377 । जिसपर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तथा बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में समलैंगिकता के भेद को लेकर दो तरह के आंदोलन का उद्भव हुआ। पहला-दर्शन तथा साहित्य के स्तर पर एवं दूसरा- मनोविज्ञान के स्तर पर। हर्शफील्ड, किंसे तथा जुंग जैसे मनोवज्ञानिकों ने समलैंगिक प्रेम को बहस का हिस्सा माना परंतु समलैंगिक प्यार का प्रतीक कलात्मक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए सराहनीय माना। इधर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए सिगमंड फ्रायड ने समलैंगिकता को मनोविकार बताया। इस मनोविकार के उपचार हेतु तमाम जांच-परीक्षणों के बाद इसे बीमारी करार दे दिया गया। [1]

1967 में ब्रिटेन में यौन-अपराध कानून में संशोधन करते हुए समलैंगिकता और वयस्क पुरुषों के बीच सहमति से होने वाले यौनाचार को अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया। एलजीबीटीक्यू समुदाय के विकास में 'स्टोनवॉल मूवमेंट' की ऐतिहासिक भूमिका है। 'स्टोनवॉल इन' नामक रेस्टोरेंट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनवीच गाँव में स्थित था, इस रेस्टोरेंट से बहुत से समलैंगिक लोग जुड़े हुए थे। जो इस गाँव में बड़ी ही सहजता से रह रहे थे। किन्तु दूसरे महायुद्ध के फलस्वरूप अमेरिका पर पड़े प्रभाव के कारण वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन ने समाज में उथल-पुथल मचा दी। और यहां रहने वाले समलैंगिकों को धीरे-धीरे यह महसूस होने लगा कि अब वहाँ का कानून उनके हक में नहीं रहा। सन् 1969, 28 जून को पुलिस ने इस रेस्टोरेंट पर छापा मारा। वहाँ बैठे गे समलैंगिकों ने इसका विरोध किया किन्तु पुलिस प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जिसके कारण रेस्टोरेंट के ड्रैगक्वींस, गे, और इस गाँव कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। पुलिस और इनके बीच बढ़ते तनाव ने धीरे-धीरे दंगे का रूप ले लिया। ये दंगा लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस दंगे में बहुत से गे समलैंगिक अपनी जान खो बैठे। इस घटना के बाद समलैंगिकों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किन्तु उन्होंने हार नहीं माना लगातार

अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें। गे, लेस्बियन अधिकारों से संबंधित आंदोलन हुए और अधिकारों के मांग को लेकर संस्थाएं स्थापित हुई। इस तरह अमेरिका सहित अन्य देशों में भी समलैंगिक अधिकारों के पक्ष में कई संगठन स्थापित हुए। सन् 1970 में 28 जून को सबसे पहले 'स्टोनवॉल राइट्स' की याद में लॉस ऐंजेलस, न्यूयॉर्क और शिकागो में 'गे प्राइड' मार्च निकला। अब तो हर वर्ष जून के आखिर में 'गे मार्च' निकाला जाता है।

सन् 1971 में कैलिफोर्निया के गे आंदोलन ने पहले पहल अपने मानवीय अधिकारों से संबंधित मांग प्रस्तुत की। आवासीय क्षेत्रों के साथ क्लब तथा बार का निर्माण हुआ। हार्वे स्मिथ जैसे महत्वपूर्ण नेता को अपनी समलैंगिकता के कारण जल सेना की नौकरी तक छोड़नी पड़ी। हार्वे स्मिथ ऐतिहासिक नेता थे, गे उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। सन् 1969 में 'स्टोनवॉल मूवमेंट' का कारवां जहां पूरे अमेरिका में मात्र पचास गे संगठन से शुरू हुआ था उसकी संख्या बढ़कर 1973 तक लगभग आठ सौ तक हो गया। लॉस एंजेल्स, सैनफ्रान्सिस्को तथा न्यूयार्क ने गे समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ये तीनों गे समुदाय के लिए एक ऐसे साइट के रूप में खड़े हुए जिसने संस्कृति तथा राजनीति दोनों ही स्तरों पर इन्हें स्पेस देने का महत्वपूर्ण काम किया। धीरे-धीरे इन्हें राजनीतिक स्वीकृति मिलनी शुरू हुई। गे समुदाय अब धीरे-धीरे समाज की नजरों में भी आने लगे। [2]

लेकिन जल्द ही गे समुदाय को पुनः एक लंबी सांस्कृतिक लड़ाई तब लड़नी पड़ी जब एड्स जैसी महामारी से जिन पंद्रह हजार लोगों की मृत्यु सैनफ्रान्सिस्को में हुई उसका कारण समलैंगिकता को बताया गया। इस समुदाय ने अपने ऊपर उठे कलंक को मिटाने की कोशिश की। लोगों को समझाया कि एड्स के फैलने का कारण समलैंगिकता नहीं है। इससे जुड़े गलत भ्रमों को तोड़ने को कोशिश की गई। और यह समझाने का प्रयास किया गया कि इसके कारण समलैंगिक व्यक्तियों को दंडित करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। [3]

सन् 1972 में ताईपेई में हुए नारीवादी मूवमेंट ने लेस्बियन आंदोलन को धार देने का काम किया। ताईपेई, ताइवान की राजधानी है। 1972 में शुरू हुआ यह आंदोलन शिव लियन लू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन ने नारी से जुड़ी पारंपरिक भूमिकाओं तथा लेस्बियन मुद्दे को बहस के केंद्र में लाने का काम किया। पहचान की राजिनीति में स्त्री कामना से जुड़े मुद्दे को लाया गया एवं 'बिटवीन अस' नामक लेस्बियन ग्रुप की स्थापना नब्बे के दशक में की गई। यह ताइवान का प्रथम लेस्बियन ग्रुप था। नारीवादियों के बीच स्त्री-पुरुष समानता से जुड़े सवालों के साथ समलैंगिक स्त्रियों से जुड़े मुद्दे जैसे यौन-मुक्ति के सवाल भी उभरने लगे थे। इन सवालों ने चीनी संस्कृति के नैतिक मूल्यों पर प्रश्नचिन्ह लगाने का काम किया। गे चैट, 'बाओ अल्न', गे पुरुषों का समूह तथा 'बिटविन अस' जैसे गैर सरकारी संगठनों का निर्माण हुआ। गे बारों ने लेस्बियन और गे समुदाय को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। 'गे बार' से होते हुए गे और लेस्बियन समूह अब धीरे-धीरे इंटरनेट और वहाँ से होते हुए भूमिगत रेडियो स्टेशन तथा वैकल्पिक मीडिया तक पहुंचे। और इस तरह ताईपेई में सन् 1996 से रेडियो मुख्यधारा में गे समलैंगिकों से जुड़े कार्यक्रमों को जगह मिलने लगा। जिसकी मदद से लेस्बियन- गे आंदोलनों ने अपनी राजनीतिक मांगें उठानी शुरू की। नारीवादी आंदोलन ने जब एड्स जैसे महामारी के विरोध में आवाज उठाई तब गे समूह ने भी उनका साथ दिया। समलैंगिक स्त्रियों ने उनसे जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए स्वयं को मुख्यधारा के बीच लाने की कोशिश की। [4]

अप्रैल 2001 में पहली बार नीदरलैंड में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चे गोद लेने की इजाजत दी गई। 2003 में बेल्जियम, 2005 में स्पेन, 2006 में दक्षिण अफ्रीका, 2009 में स्वीडन, नॉर्वे और मैक्सिको, 2010 में अर्जेंटीना और आयरलैंड, 2013 में उरुग्वे, ब्राजील, न्यूजीलैन्ड, इंग्लैंड, वेल्स, फ्रांस और अमेरिका, 2014 में स्काटलैंड और लक्जमबर्ग, 2015 में स्लोवेनिया तथा 2017 में फिनलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई।

धारा 377

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 सन् 1870 में अंग्रेजों द्वारा भारत पर थोपा गया एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। जिसके अंतर्गत सहमति के आधार पर भी बने समलैंगिक संबंधों के लिए दस वर्ष तक की उम्र कैद की सजा का प्रावधान बनाया गया था। किन्तु यह धारा सहमति के आधार पर बनाए गए संबंधों और दबावपूर्वक बनाए गए संबंधों के बीच कोई फर्क नहीं करता। यह गैर-विषमलैंगिक पहचनों को स्वीकार नहीं करता है।

धारा 377 को अक्सर बाल यौन उत्पीड़न एवं धारा 375 (यौनिक अत्याचार) के साथ जोड़ कर देखा जाता है। इन्हें एक-दूसरे के साथ घुला-मिला दिया जाता है। इस धारा का सहारा लेकर समलैंगिक व्यक्तियों के साथ शोषण किया जाता रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ तमाम तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। इस धारा की अस्पष्टता के कारण सही और गलत में भेद करना बेहद कठिन होता है। इसका धारा का सहारा लेकर उन समलैंगिक जोड़ों को दबोचा जाता रहा है जिनके बीच के संबंध आपसी सहमति और खुशी से स्थापित हुई हो तो दूसरी ओर वे लोग इसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर पाते जिनके साथ समलैंगिक यौन क्रिया जबरन स्थापित किया गया हो। क्योंकि उन्हें इस बात का भय सदैव सताता है कि सामाजिक मान्यताओं को आधार बनाकर उन्हें भी शोषित किया जायेगा। जहां तक मुद्दा बाल यौन शोषण का है तो यह स्पष्ट है कि सरकार का मंशा सहमति से स्थापित संबंध और बाल यौन शोषण को उलझाए रखने का है। जब धारा 377 के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई तो सरकार ने कहा कि धारा 377 के कानून का होना इसीलिए आवश्यक है कि बाल यौन शोषण जैसे अपराध करने वालों के विरुद्ध मुकदमा किया जा सके। लेकिन इस याचिका का उद्देश्य धारा 377 को पूरी तरह रद्द करने का था ही नहीं बल्कि यह केवल अपनी सहमति से समलैंगिक वयस्कों के यौन क्रियाओं को इस धारा से

मुक्त किए जाने हेतु किया गया था ना कि गैर-सहमति के आधार पर स्थापित संबंधों और बाल यौन शोषण के खिलाफ। जिसे जानबूझकर सरकार ने अनसुलझा ही रखा। बाल अधिकारों के समर्थक समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हो गये। बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठाकर वयस्क समलैंगिक सहमति प्राप्त संबंधों को आपराधिक करार देने की रणनीति अपनायी गई। बाल अधिकार, महिला तथा यौनिक अधिकारों पर काम करने वाले तमाम संगठनों व समूहों एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बाल यौन शोषण के लिए अलग से कानून बनाने की मांग को अनसुना किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार बच्चों के अधिकारों के प्रति कितनी सचेत दिखायी देती है। [5]

"बाल यौन उत्पीड़न और कानून के लिहाज से वर्तमान स्थिति ऐसी है कि लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलाने के लिए धारा 375 (आई. पी. सी. की धारा जो बलात्कार से संबंधित है), धारा 354 (महिला की मर्यादा का उल्लंघन) या धारा 377 इस्तेमाल की जाती है। लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में केवल धारा 377 का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा की बाल यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए कानून की मांग करने वाले समूहों ने बार-बार इंगित किया है, बलात्कार कानून एकदम पर्याप्त नहीं है। धारा 375 केवल लिंग द्वारा योनि में प्रवेश को ही अपराध मानती है। यह सर्वज्ञात है कि बाल यौन उत्पीड़न अधिकतर इस प्रकार नहीं होता है। बाल यौन उत्पीड़न के प्रकारों में जननांगों के प्रदर्शन और स्पर्श से लेकर भेदन के सभी रूप (जिसमें लिंग-गुदा, लिंग-मुख, वस्तु-योनि और उंगली-योनि शामिल है) हो सकते हैं। बाल यौन उत्पीड़न जिस तरह का अपराध है, धारा 354 (महिला की मर्यादा का उल्लंघन) तो उसकी गंभीरता को समझने की शुरुआत भी नहीं करती। धारा 375 की तरह यह धारा भी केवल लड़कियों के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में ही इस्तेमाल की जा सकती है। धारा 377 अन्य कई कारणों से भी अपर्याप्त है। शुरुआत इस तथ्य से की जा सकती है कि इस कानून का निर्माण बाल यौन उत्पीड़न को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। जिन सब रूपों में उत्पीड़न हो सकता है, उनमें से अधिकतर

के लिए यह पर्याप्त नहीं है.. जिनके अधिकारों की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना सरकार का काम है, उन सभी के अधिकारों को रौंदते हुए सरकार धारा 377 को न्याय प्राप्त करने के रास्ते के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसकी बजाय बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो चिंताएं जतायी हैं, उनको सिद्ध करने के लिए सरकार को नया कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, ऐसा कानून जो कि बाल यौन उत्पीड़न को समग्र रूप से संबोधित करे"[6]।

एलजीबीटीक्यूजन के अधिकारों का हनन

समलैंगिकता को आपराधिक करार देने वाला कानून धारा 377 समलैंगिक व्यक्तियों के जिन अधिकारों का हनन करता है वे हैं- संविधान के तीसरे भाग में आने वाले निम्न मौलिक अधिकार। जैसे- अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (व्यवसाय या व्यापार करने, बोलने, इकट्ठा होने तथा आने-जाने का अधिकार), अनुच्छेद 21 (स्वतंत्रता, एकांतता, जीवन तथा स्वास्थ्य का अधिकार)। यौनिक अभिरुचियाँ भिन्न-भिन्न होती है। इसे चुनने का अधिकार व्यक्तिगत स्वांतत्रता का मसला तो है ही किन्तु साथ ही यह प्रत्येक व्यक्ति का मानवीय अधिकार भी है। जिनपर धारा 377 रोक लगाती है। धारा 377 यौनिकता के मापदंड निर्धारित करता है। यह सहज तथा असहज, मान्य तथा अमान्य यौनिकता का विभाजन करता है।

'अधिकार हो सबके लिए' नामक अपने रिपोर्ट में जिसका संकलन 'वॉयसिज अगैन्स्ट 377' ने 2005 में किया। इस रिपोर्ट में इसने धारा 377 से संबंधित तमाम समूहों, समितियों एवं संगठनों के बयान को दर्ज किया है। जिसका उल्लेख यहाँ उन्हीं के शब्दों में कर रही हूँ -

- **संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार समिति** ने एक मामले में नोट किया कि आई.सी.पी.आर (इंटरनेशनल कोविनेन्ट ऑन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय

शपथपत्र) की गैर-भेदभाव वाली धारा में किए गए 'यौन' के उल्लेख में 'यौनिक अभिरुचि' को भी शामिल किया जाना चाहिए।

- **संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग** ने सब राज्यों से अपील की है कि वे न केवल समलैंगिकता को आपराधिक मानने वाले कानूनों को रद्द करें, बल्कि अपने संविधानों या अन्य मौलिक कानूनों में यौनिक अभिरुचि पर आधारित भेदभाव के निषेध को प्रतिष्ठापित करें।

- **बीजिंग पी. एफ. ए.** - महिलाओं के मानव अधिकारों में उनकी यौनिकता से संबंधित बातों में जिम्मेदारी व स्वतंत्रता से निर्णय लेने और नियंत्रण का अधिकार शामिल है। इनमें बिना जबरदस्ती, बिना भेदभाव और बिना हिंसा के यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य भी शामिल हैं।

-**संयुक्त राष्ट्र समिति** (यह राज्यों द्वारा इंटरनेशनल कोविनेन्ट ऑन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स - नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय शपथपत्र के पालन को मॉनिटर करती है) भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन 1979 में शुरू किया था। 1994 में इस समझौते से जुड़ी समिति ने फैसला किया कि जो कानून समलैंगिक व्यवहार को आपराधिक ठहराते हैं, वे सभी भेदभाव से मुक्ति और एकांतता के मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। समिति ने ध्यान दिलाया कि आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद 2(1) और 26 की भेदभाव से जुड़ी धारा में 'यौन' के उल्लेख में 'यौनिक अभिरुचि' को भी शामिल किया जान चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी यौनिक अभिरुचि के आधार पर आई. सी. सी. पी. आर. में निश्चित किए गए अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

-**ऐमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया** इस बात का समर्थन करती है कि नाज फाउंडेशन वाले मसले में भारत सरकार का अपने निवेदन में यह कहना कि आम राय समलैंगिक व्यवहार के पक्ष में नहीं है, इस मुद्दे को धुंधला करने का एक प्रयास है। भारत सरकार का निवेदन समाजशास्त्रीय और कानूनी कहानियाँ बनाकर उपनिवेशवादी कानूनी विरासत को बचाकर रखने के एक प्रयास को प्रस्तुत करता है। [7]

'**डाइगनौस्टिक एण्ड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिस्ऑर्डर**' अब समलैंगिकता को मानसिक बीमारी नहीं मानता है। यह मानता है कि किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सकिय सुधारात्मक प्रणाली किसी व्यक्ति के यौनिक अभिरुचि या प्रवृति को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं कर सकती। [8]

अपोलो अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ मनोचिकित्सक, भारतीय मनोचिकित्सक सोसाइटी के मेम्बर तथा दिल्ली मनोचिकित्सीय सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. संदीप वोहरा का कहना है कि 'हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है। समलैंगिकता कोई रोग नहीं है और हम उसे इसी नजरिए से देखेंगे'[9]।

सन् 1984 में **अमेरिकी मनो विश्लेषणात्मक संघ** का समलैंगिकता पर दिया गया बयान -"न मानसिक बीमारी न ही नैतिक पतन। यह सिर्फ एक तरीका है जिससे हमारी जनसंख्या का अल्पसंख्यक हिस्सा इंसानी प्रेम तथा यौनिकता को अभिव्यक्त करता है। एक के बाद एक अध्ययन गे पुरुषों तथा लेस्बियन महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का दस्तावेजीकरण करते हैं। निर्णय, स्थिरता, विश्वसनीयता और सामाजिक व व्यावसायिक अनुकूलीकरण के अध्ययन, ये सब दर्शाते हैं कि गे पुरुष तथा लेस्बियन महिलाएं हर तरह से उतनी ही अच्छी तरह काम करते हैं जितने कि विषमलैंगिक। .... कुछ लोगों की सोच के विपरीत ऐसा नहीं है कि नए नैतिक नियमों या नैतिक लोकाचारों के साथ जनसंख्या में अब पहले से ज्यादा समलैंगिकता पाई जाती है। शोध निष्कर्षों से ऐसा लगता है कि समलैंगिकों को ठीक करने के प्रयास मनोवैज्ञानिक साजो-सामान में लिपटे सामाजिक पूर्वाग्रहों से अधिक कुछ भी नहीं हैं"[10]।

सन् 1973 में **अमेरिकी मनोचिकित्सीय संघ**[11] ने मानसिक बीमारियों की श्रेणी से समलैंगिकता को बाहर कर दिया था। इसी तरह सन् 1975 में **अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन**[12] तथा सन् 1981 में **विश्व स्वास्थ्य संगठन**[13] ने भी समलैंगिकता को बीमारियों की श्रेणी से बाहर किया।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च[14] ने अपने निर्देशों में 'कोड ऑफ प्रैक्टिस एथिकल कन्सिडरेशन एण्ड लीगल इशूज' को जोड़ा है। आर्टिफ़िशियल रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात ए. आर.

टी. की बात करते हुए कहता है कि चाहे समलैंगिक पुरुष हो, लेस्बियन महिला हो या अविवाहित महिलाएं ही क्यों न हो, यदि ये ए. आर. टी. के माध्यम से बच्चे की चाहत रखते है तो उन्हें यह सेवा प्रदान करने से कोई भी ए. आर. टी. क्लिनिक इनकार नहीं कर सकते है। हाँ इसमें उल्लेखित सभी मापदंडों का पूरा होना निश्चित रूप से आवश्यक है। ए. आर. टी. के माध्यम से जन्में बच्चों का पुरुष या महिला पर पूरा अधिकार प्राप्त होगा।

भारत में : कानून एवं आंदोलन

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की खिलाफत सबसे पहले 1994 में (ए. बी. वी. ए) एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने की। 1998 में लेस्बियन संबंध उभरकर सामने आये। जिसका मूल कारण फिल्म 'फायर' थी। अतः फिल्म पर लगातार विवाद होने शुरू हुए। 1999 में लेस्बियन, गे और बाईसेक्सुअल पर आधारित बीना फर्नांडीज द्वारा संपादित और संकलित तथा मानव अधिकार और कानून के लिए भारत केंद्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'हमजिंसी' से भारतीय लेस्बियन एवं LGBT समुदाय बेहद प्रभावित हुए। 1999 में पहली बार समलैंगिकों ने कोलकाता में परेड का आयोजन किया। 2001 में समलैंगिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली एन.जी.ओ नाज़ फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। 2004 में (सितंबर-नवंबर) हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका भी खारिज की। 2004 (दिसंबर) में समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2006 (अप्रैल) में सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजा और गुण-दोष के आधार पर मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। 2 जुलाई 2009 को उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी। 11 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस टी. एस. ठाकुर ने इस मसले को संवेदनशील बताया और

संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया। इस मसले में आठ क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल न्यायालय पहुंचे जहां उन्होंने अपनी दलील देते हुए कहा कि जिसे अंग्रेजी कानून ने असंवैधानिक घोषित किया है, वह 'दो वयस्क व्यक्तिओं के बीच का निजी मामला है जिसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती'। यह समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायाधीश ने पांच जजों की बेंच को सुनवाई का निर्देश दिया। 20 दिसम्बर 2013 को केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की। 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' तथा 'चर्च ऑफ इंडिया' इस पिटिशन के खिलाफ थे। अलबत्ता लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मांगों के खिलाफ सरकार न्यायालय भी पहुंची, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया तथा केंद्र की रिव्यू पिटिशन ख़ारिज कर दी।

28 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा से इनकार किया। केंद्र और कार्यकर्ताओं की याचिका खारिज की। बाद में कोर्ट ने एलजीबीटी मामले के साथ थर्ड जेंडर मामले को एक साथ जोड़ दिया और केस स्पेशल बेंच को भेज दिया। और अंततः 15 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'हिजड़ों' और 'ट्रान्सजेन्डर' मनुष्यों को 'तीसरे लिंग'(थर्ड जेन्डर) के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता पर सुधारात्मक याचिकाओं को पाँच न्यायाधीशों वाली पीठ के पास भेजा। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। 11 जुलाई 2018 को केंद्र ने धारा 377 की वैधता पर कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ा। 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। 6 सितंबर 2018 को अंततः सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी। नवंबर 2022 में समलैंगिक विवाह की मान्यता के लिए विशेष विवाह अधिनियम के आधार पर याचिकाएं दायर की गयी। दो पुरुष सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस

भेजा तथा 6 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालयों के पास लंबित इस मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं को स्थानांतरित कर लिया। 12 मार्च 2023 को केंद्र ने 'समलैंगिक विवाह को मान्यता' का विरोध किया। 13 मार्च 2023 को सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन-न्यायधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेज दिया। 15 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाँच जजों की पीठ का गठन किया तथा 18 अप्रैल 2023 से इस मामले पर सुनवाई प्रारंभ की गयी। 3 मई 2023 को केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि LGBTQIA+ जोड़ों की समस्याओं के संबंध में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 9 मई 2023 को समलैंगिक विवाह से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा हुआ। 10 मई 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दाखिल की गई याचिका (समलैंगिकों द्वारा बच्चे को गोद लेने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ) को सुना गया।

एलजीबीटीक्यूजन के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के लिए छोटे-बड़े एलजीबीटी समूहों, संगठनो, संस्थाओं, अकादमिक चर्चाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं ने आन्दोलनात्मक कार्य किए।

समूह, संगठन, संस्थाओं, अकादमिक चर्चाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका

लेबिया- 'स्त्री संगम' के नाम से लेबिया की शुरुआत समलैंगिक और बाईसेक्सुअल स्त्रियों के समूह के साथ सन्1995 में होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य उन स्त्रियों से संपर्क स्थापित करना, सहारा देना और सुरक्षित माहौल मुहया कराना था जो स्वयं को सीधे-सीधे या अस्पष्ट रूप से समलैंगिक या बाईसेक्सुअल मानती थीं। साथ ही इसका एक और उद्देश्य समूहों एवं विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर समाज में बदलाव हेतु कार्य करना था।

हमसफर - हमसफर 'गे' समलैंगिकों के लिए मुक्त रूप से काम करने वाली पहली संस्था है। साथ ही किन्नरों के लिए भी काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। 'हमसफर' संस्था महाराष्ट्र में स्थित है। ये

सन् 1994 से निरंतर प्रयत्नशील है। ट्रांसजेन्डर बस्तियों में इसने कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किये जिससे इनके जीवन में बदलाव लाया जा सके।

संगमा - कर्नाटक में स्थित 'संगमा' नामक संस्था किन्नरों के लिए काम करती है। प्रारंभ में संगमा को मीटिंग के लिए किन्नरों को एकत्रित करने में तमाम कठिनाइओं का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ बदली और बेहतर हुई।

विकल्प - सन् 1996 में गुजरात में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव तथा घरलु हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने के उद्देश्य से 'विकल्प' संगठन की स्थापना हुई। विकल्प ने वर्ग, जाति, धर्म, जेंडर पहचान, यौन अभिविन्यास, हाशिए की महिलाओं तथा एलबीटी लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप किया। यह संगठन ग्रामीण आदिवासी समुदायों के बीच तथा उनके साथ काम करता है। विकल्प विविधताओं को स्वीकारता है तथा असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाता है।

अर्धेक आकाश - अर्धेक आकाश लैंगिक असमानता के खिलाफ एक स्वाधीन एवं स्वतंत्र पत्रिका संस्था है। समाज में आम लोगों के ऊपर शोषण के विभिन्न रूप मौजूद है। किन्तु स्त्री व हाशिये के लोगों पर सर्वदा एक अतिरिक्त शोषण सभी स्तरों पर काम करता है। अर्धेक आकाश पत्रिका विषमलैंगिक पुरुषतंत्र के इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना चाहता है और साथ ही सही सोच को सामने लाना चाहता है।[15]

गुलबर्ग से प्रकाशित 'Freedom', लंदन से 'Shaktikhabar', मुंबई से 'Bombay Dost', कलकत्ता से 'Prawartak', 'Councel Club'(समलैंगिक सहायक समूह जो 1993 से 2002 तक कार्यरत था), 'Fun Club'(कलकत्ता का प्रारम्भिक क्वीयर सहायक समूह जो 1990 -91 तक कार्यरत था)। एलजीबीटी आंदोलन के उभरने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

विभिन्न क्षेत्रों व तमाम संस्कृतियों से जुड़े ऐसे तमाम लोग है जो यौनिकता से जुड़े बाइनरी मानदंडों के अनुरूप स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। यहां कुछ ऐसे ही पहचानों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने अपने जीवन और प्रेम को भिन्न तरीके से व्यक्त किया। जिन्होंने कमिंग-आउट[16] किया तथा एलजीबीटीक्यू अधिकारों पर चर्चाएं कर जमीन तैयार करने का काम किया। निम्नलिखित सामग्री समाचार पत्र-पत्रिकाओं, ऑनलाइन तथा कुछ संस्थाओं से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है।

ऑस्कर वाइल्ड (1854-1900) : प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार ऑस्कर वाइल्ड उस शख्स का नाम है जो अपने हास्यास्पद तथा करिश्माई उपन्यासों व नाटकों के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। ऑस्कर वाइल्ड अपने विलक्षण व्यक्तित्व के लिए भी बेहद लोकप्रिय थे। उनकी अपनी एक अनोखी शैली थी। लंबे बाल, सिर पर चौड़ी टोपी, धनुषीय आकार की टाई तथा लंबी कोट (cape) पहनते थे। लोग उन्हें दूर से ही पहचान लेते थे। वाइल्ड, अल्फ्रेड डगलस नाम के पुरुष से प्रेम(Romantic relationship) करते थे। होमोफोबिक (समलैंगिकता के प्रति घृणा, भय आदि) विक्टोरियन संस्कृति के कारण उन्होंने अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया। उस दौर में समलैंगिकता कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना जाता था। अलबत्ता उन्होंने अपनी रचनाशीलता के माध्यम से इस सत्य को व्यक्त किया। जिसके कारण उनपर अश्लीलता का आरोप लगा। अतः यह कहना गलत न होगा कि ऑस्कर वाइल्ड की अभिव्यक्ति ने स्त्री-पुरुष संबंधों के सीमित संरचनात्मक धारणा को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। "यह सुविदित है कि अगर वाइल्ड अपनी समलैंगिकता के बारे में गोपनीयता बरतते तो उन्हें 'माफ' किया जा सकता था। जैसे, अगर वे मार्कविस के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमा दायर न करते। विक्टोरियन इंग्लैंड वाइल्ड की सेक्शुअल अस्मिता बर्दाश्त कर सकता था, बशर्ते उसका मुजाहिरा खुल ककार न किया जाता और उसे हाशिये पर मौजूद एक संप्रदाय की जीवन-शैली की सीमाओं में रखा जाता। लेकिन, एक सांस्कृतिक विचारधारा की तरह अपनी समलैंगिकता का प्रदर्शनकारी इस्तेमाल करके वाइल्ड ने अपने समुदाय की मुख्य आत्म-

पहचान के साथ भितरघात की जुर्रत की। यह आत्म-पहचान सुलझते हुए पुरुष-स्त्री संबंधों वाले एक सुपरिभाषित पुरुषों के समुदाय की थी। इंग्लैंड की अभिजन संस्कृति कड़ाई से परिभाषित सेक्शुअल भूमिकाओं से इस तरह की खुली पथभ्रष्टता सहन करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। अपने अति-सौन्दर्यपरकता में डूबे वाइल्ड को यह पता ही नहीं था कि इंग्लैंड की अभिजन संस्कृति हजारों मील दूर एक उपनिवेश में इन्हीं परिभाषाओं के भीतर से राजनीतिक तात्पर्य निकालने में लगी हुई है"[17]।

सोफ़िया पार्नोक (1885-1933) : सोफ़िया पार्नोक रूसी-यहूदी लिब्रेटिस्ट तथा क्वीयर कवि हैं। सोफ़िया पार्नोक ने स्त्रियों के साथ अपने प्रेम-संबंधों को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने अपने प्रेम-प्रसंगों की खुलेआम चर्चा उस समय की जिस समय स्टालिन सरकार ने समलैंगिक संबंधों को बीमारी की श्रेणी में रखा।

फ्रीडा काहलो (1907-1954) : 1920 -30 के दशक में फ्रीडा काहलो मैक्सिको की प्रसिद्ध कलाकार तथा स्त्री स्वतंत्रता की पुरोधा के रूप में उभरीं। अलबत्ता वह अपने मैक्सिकन कपड़ों के लिए जानी जाती थी। विभिन्न अवसरों पर वह कभी पुरुषों के पतलून तो कभी स्त्रियोचित वस्त्र धारण करती थी। फ्रीडा Vargas), जोसफिन बैकर (Josphine Baker) के प्रति आकर्षित (Romantically) थी। वह जेंडर के बने-बनाये मानकों से बिल्कुल भिन्न थी। फ्रीडा का जीवन शैली व पहनावा निर्धारित मानकों से सदैव अलग रहा।

एलेन ट्यूरिंग (1912-1954) : एलेन ट्यूरिंग ब्रिटिश गणितज्ञ थे। कंप्यूटर विज्ञान के विकास में एलेन ट्यूरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। उन्होंने गणनात्मक अवधारणा को एक नया स्वरुप प्रदान किया। एलेन के जीवन में बदलाव तब आया जब उनके साथ पढ़ने वाले क्रिस्टोफर मार्कम की मृत्यु हो गयी। क्रिस्टोफर मार्कम के प्रति एलेन आकर्षण महसूस करते थे। इसी दौरान एलेन अपनी विलक्षणता के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता भी प्राप्त करते रहे। तमाम उपलब्धियों के बावजूद समलैंगिक होने के कारण सन्

1952 में उनपर मुक़दमा चला (समलैंगिकता उस समय ब्रिटेन में अपराध माना जाता था) और अंततः सन् 1954 में उनकी मृत्यु हो गयी।

एल्टन जॉन (1947-वर्तमान) : एल्टन जॉन अपनी रचनाशीलता तथा अविश्वसनीय कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। 'Rocket man' तथा 'Your Song' गीत के लिए उन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली। अपने गीतों के माध्यम से एल्टन क्वीयर मुद्दे को उठाते हैं। एल्टन को एन्ड्रोजीनस (Androgynous) के रूप में भी जाना जाता है। सन् 1976 में एल्टन उभयलिंगी (Bisexual) के रूप में सामने आये। सन् 1984 में एक स्त्री से विवाह करने के उपरांत 'गे' के रूप में उभरकर आये। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते है और एक अच्छा पति बनने का प्रयास भी करते है किन्तु ऐसा करने में असमर्थ रहे। क्योंकि अपनी पहचान को लेकर संशय में थे। अंततः सन् 1988 में पत्नी से तलाक के पश्चात 'गे' रूप में उभरते हैं।

विक्रम सेठ (1952- वर्तमान) : भारतीय साहित्य में विक्रम सेठ का महत्वपूर्ण स्थान हैं। इन्होंने कई उपन्यास व कविताएं लिखी हैं। विक्रम सेठ भारतीय LGBTQI+ आंदोलन के हिमायती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से असमानता के विरूद्ध विरोध दर्ज किया। उनकी कविताओं में कई पुरुष पात्रों का रोमांटिक भाव दृष्टिगोचर होता है। विक्रम सेठ की माँ न्यायधीश लीला सेठ द्वारा अपनी आत्मकथा में विक्रम सेठ के अभिविन्यास के उल्लेख को लेकर संदेह व्यक्त करने पर विक्रम सेठ उनसे अनुरोध करते है कि वे उनके अभिविन्यास का स्पष्ट उल्लेख करें। वे कहते है "जिन चीजों के बारे में लिखना कठिन है, उसके प्रति सामान्य जन में अधिक साहस तथा अनुराग उत्पन्न होता है"। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरोध में उठाये गये आवाजों में एक नाम विक्रम सेठ का भी हैं। जिस धारा को अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितम्बर 2018 को संवैधानिक घोषित किया।

मार्टिना नवरातिलोवा (1956 - वर्तमान) : मार्टिना नवरातिलोवा अमरीकन टेनिस खिलाडी हैं। 59 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड हाशिल करने वाली मार्टिना, 9 विंबलडन एकल चैंपियनशिप, 177 युगल चैंपियनशिप तथा

167 एकल चैंपियनशिप प्राप्त कर चुकी हैं। सन् 1981 में न्यूयार्क दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता स्टेव गोल्डस्टाइन को दिए अपने साक्षात्कार में बताती है कि अमरीकन नारीवादी, लेस्बियन व नागरिक अधिकारों के आंदोलन में सक्रिय 'रीटा में ब्राउन' के साथ उनके सम्बन्ध (समलैंगिक सम्बन्ध) है। वे संवाददाता स्टेव गोल्डस्टाइन से आग्रह करती है कि इस लेख को तब तक प्रकाशित न किया जाए जब तक कि वह सार्वजनिक रूप से बाहर न आ जाए। चूँकि 80 के दशक में अमेरिका में समलैंगिकों के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था इसीलिए उन्हें अपनी नागरिकता छीन जाने तथा टेनिस से बाहर कर दिए जाने का भय था। अलबत्ता 30 जुलाई 1998 को न्यूयार्क दैनिक समाचार पत्र ने इस लेख को प्रकाशित कर दिया।

अंततः मार्टिना नवरातिलोवा, मिस सोवियत संघ रह चुकी 'जूलिया लेमिगोवा' से 15 दिसम्बर 2014 को विवाह कर लेती हैं। मार्टिना और जूलिया अब एक-दूसरे के साथ ही रहती हैं।

ऋतुपर्णा घोष (1963-2013) : ऋतुपर्णा घोष भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक, गीतकार तथा अभिनेता थे। अपनी फिल्मों के माध्यम से ऋतुपर्णा घोष ने मानवीय स्थिति को अत्यंत सूक्ष्मता तथा गहराई से प्रस्तुत किया है। यही कारण है जिसने उन्हें वैश्विक सफलता दिलायी। वह भारतीय सिनेमा के कुछ चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने अपनी समलैंगिकता को खुलकर स्वीकार किया। ऋतुपर्णा घोष को LGBTQI+ समुदाय का प्रतीक माना जाता है। उनके निजी जीवन की संघर्षात्मक कहानी ने उन्हें LGBTQ समुदाय के बीच लोकप्रिय बनाया। वे कहते है " साउथ पॉइंट स्कूल में एक छात्र के रूप में मेरा जीवन बेहद कठिन रहा। अलग हाव-भाव के कारण लगातार उपहास का पात्र बनना पड़ा"। उनकी कुछ फिल्में जैसे 'चित्रांगदा' तथा 'आर एकटी प्रेमेर गोलपो' समलैंगिक विषय पर आधारित है। 'चित्रांगदा' में परिवर्तन के संवेदनात्मक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है जिसमें एक व्यक्ति पुरुष से स्त्री बनने के दौर से गुजरता है। 'आर एकटी प्रेमेर गोलपो' चैपल भादुरी (स्त्री वेषभूषा धारण करने वाला भारतीय रंगमंच कलाकार थे) के जीवन पर आधारित

हैं। चैपल समलैंगिक थे। ऋतुपर्णा चैपल भादुरी के माध्यम से भिन्न अभिविन्यास वाले व्यक्तियों के प्रति समाज की क्रूरता को दिखाने का प्रयास करते हैं।

राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल (1965-वर्तमान) : गुजरात के राजपीपला के मानवेंद्र सिंह गोहिल विश्व के पहले 'गे' राजकुमार है जिन्होंने अपने 'गे' होने की बात सन् 2006 में खुलकर स्वीकार की।

पारिवारिक दबाव के कारण सन् 1991 में मानवेंद्र सिंह, झबुआ की राजकुमारी चन्द्रिका से विवाह कर लेते है। किन्तु यह विवाह अधिक दिन तक नहीं चल पाया और जल्द ही टूट गया। सन् 2002 में मानवेंद्र की सच्चाई जानने के बाद उनका परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता है। 'गे' होने के कारण मानवेंद्र सिंह गोहिल को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी अपनी आत्मकथा 'मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी' में मानवेंद्र सिंह गोहिल की चर्चा करते हुए बताती है कि "मानवेंद्र सिंह की और मेरी जब मुलाकात हुई, तब वे एच. आई. वी. /एड्स पर काम करने वाले 'लक्ष्य ट्रस्ट' के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये मुझे पता था। वे खुद 'गे' हैं, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। उसका मुझे बाद में पता चला। पहली मुलाकात के बाद तो बहुत-से 'कार्यक्रमों में, बहुत-सी मीटिंग्स में, बहुत से कान्फ्रन्स में हम मिलते रहे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और फिर आगे भाई-बहन का रिश्ता बना। हम एक व्यक्ति के तौर पर, ऐक्टिविस्ट के तौर पर, एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं" [18]

मानबी बंदोपाध्याय (1966-वर्तमान) : मानबी बंदोपाध्याय भारत की पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण की। मानबी बंदोपाध्याय के बचपन का नाम 'सोमनाथ' था। 'सोमनाथ' से मानबी बंदोपाध्याय बनने में उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बताती है कि वह जैसे-जैसे बड़ी होती गई स्वयं को लड़की के रूप में महसूस करती रहीं। सन् 2003 में सर्जरी के माध्यम से अपना जेंडर परिवर्तित कर वह 'सोमनाथ' से 'मानबी' बनीं। सन् 2018 में उनकी आत्मकथा 'पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन' प्रकाशित हुआ।

करण जौहर (1972-वर्तमान) : फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, कस्टयूम डिज़ाइनर, तथा पटकथा लेखक करण जौहर बॉलीवुड का एक जाना-पहचाना नाम है जिसने हिंदी फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। करण जौहर ने अपनी कुछ फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड के विषमलैंगिक संसार में क्वीयर मुद्दे पर चर्चा की हैं। उनकी फिल्म 'बॉम्बे टॉकीज' एक समलैंगिक व्यक्ति के विषमलैंगिक विवाह में बंधने तथा 'कपूर एंड संस' समलैंगिक पुरुष का उसके परिवार के सामने खुलकर आने की कहानी से संबंधित है। करण जौहर की यौनिकता को लेकर अलग-अलग बाते होती रही हैं। पर खुलकर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अपनी आत्मकथा " The Unsuitable Boy" में कहते है "हर व्यक्ति मेरे यौनिक अभिविन्यास को जानता है। मुझे यह चिल्लाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे बताने की आवश्यकता हो तो भी मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूँ वहां मुझे इसके लिए जेल हो सकती है। यही कारण है कि मैं, करण जौहर उन तीन शब्दों को नहीं कहूँगा जिसे मेरे बारे में संभवतः हर कोई जानता है" (यह कथन समलैंगिकता को अपराधीकरण की श्रेणी से हटाने के पूर्व का है)

बौनी पॉल (1981- वर्तमान) : बौनी पॉल का सम्बन्ध खेल के क्षेत्र से हैं। बौनी 'इंटरसेक्स' व्यक्ति के रूप में पैदा हुई थी। जिन्हें लड़की के रूप में पाल-पोषकर बड़ा किया गया। सन् 1994 में बौनी ने महिला फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में खेलकर बंगाल को जीत हाशिल दिलायी। यौनिक परीक्षण (अब यह एक अमान्य परीक्षण है) में असफल पाई जाने के कारण बैंगकॉक एशियाड खेल (सन् 2000) में प्रतिभागिता न कर सकीं। जिसके बाद खेल के साथ-साथ परिवार ने भी उनका हाथ छोड़ दिया। इन सब के कारण बौनी पॉल ने 'Gender Affirmative Therapy' की सहायता ली। बाद में उन्होंने एक लड़की से विवाह किया। उनके इस रिश्ते को परिवार ने स्वीकार नहीं किया जिसके कारण वह दोनों अलग रहने लगें। उन्हें निरंतर

परिवार तथा समाज के भेदभाव का सामना करना पड़ा। सन् 2016 में 'I am Bonnie' नाम की डाक्यूमेंट्री फिल्म बनी जिसमें उनके संघर्ष को दिखाया गया।

सांथी सौंदराजन (1981-वर्तमान) : सांथी सौंदराजन भारतीय ट्रैक तथा फील्ड एथलीट हैं। सन् 2006 के एशियाई खेल में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। किन्तु 'यौनिक परीक्षण' (स्त्री यौनिक विशेषताएं न पाए जाने के कारण) के उपरांत एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा सांथी सौंदराजन से उनका रजत पदक वापस ले लिया गया।

बाद में पता चला कि सांथी का जन्म 'इंटरसेक्स' व्यक्ति के रूप में हुआ था। जन्म के बाद एक लड़की के रूप में उसका पालन-पोषण हुआ। और वह स्वयं को लड़की के रूप में ही पहचानती थी। पदक वापस लेने के पश्चात् सांथी को सूचित किया गया कि अब वह खेल में प्रतिभागिता नहीं कर सकती। जिससे वह बेहद आहत हुई और उन्होंने आत्महत्या तक का प्रयास किया। उन्हें इस स्थिति से उबारने में उनके समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

रेन डव (1989-वर्तमान) : रेन डव एक एन्ड्रोजेनस मॉडल, अभिनेता तथा कार्यकर्ता हैं। रेन डव जेंडर की बनी-बनायी दीवार को तोड़कर मॉडलिंग के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करती हैं। रेन डव रैंप वॉक करते हुए स्त्री व पुरुष दोनों तरह के वस्त्रों का धारण करती नजर आती हैं। उनके अनुसार जब वह फायरफाइटर थी उस दौरान उन्हें अपने जेंडर की अस्पष्टता का एहसास हुआ। रेन डव के अनुसार "जो बात आपको सही मायने में अलग बनाती है वो ये है कि आप जैसे है, वैसे ही रहे'।

नील घोष (1989-वर्तमान) : नील घोष, सन् 2015 में गठित, पश्चिम बंगाल ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड के पहले ट्रांसमैस्कुलिन सदस्य हैं। 2015-2018 तक बोर्ड सदस्य के रूप में इन्होनें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े मांगो को सदैव उठाया है। मान्यता प्राप्त जेंडर से भिन्न होने के कारण इन्हें परिवार एवं समाज में पग-पग पर समस्याओं का सामना करना पड़ा।

अत्री कर (1990-वर्तमान) : अत्री कर भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने बंगाल सिविल सेवा की परीक्षा दी। इस परीक्षा को देने में अत्री कर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिसके बाद वह सिविल सेवा परीक्षा देने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनीं। अपनी पढ़ाई के बाद 2017 में बंगाल सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म भरते हुए अत्री ने पाया कि जेंडर के लिए केवल स्त्री और पुरुष कॉलम का ही विकल्प है। जबकि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने NALSA निर्णय के आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर देने हेतु 'अन्य' श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की थी किन्तु बंगाल लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जिसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंची। इस तरह उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी। वर्तमान में अत्री कर पश्चिम बंगाल, कुन्तीघाट के एक विद्यालय में पढ़ाती हैं।

आलोक वैद-मेनन (1991 -वर्तमान) : आलोक वैद-मेनन भारतीय-अमेरिकी मूल के कवि तथा प्रदर्शनकारी कलाकार (Performance Artist) हैं। आलोक स्वयं को मान्यता प्राप्त जेंडर से भिन्न मानते हैं। आलोक 'लाइव वर्क परफॉरमेंस एक्ट अवार्ड 2017 (Live Works Performance Act Award 2017) प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वे अपने कार्य के द्वारा जेंडर तथा यौनिकता के द्विधारी व्यवस्था को चुनौती देते है, साथ ही जेंडर एवं यौनिकता को समझने तथा विश्लेषित करने का प्रयास भी करते हैं। आलोक वैद ने जनानी बालासुब्रमणियन के सहयोग से दक्षिण एशियाई क्वीयर तथा ट्रांस जन विषय पर प्रदर्शन तथा कला के माध्यम से 'Dark Matter Rage' नामक श्रृंखला का नेतृत्व किया।

माइल्स मैकेना (1995-वर्तमान) : माइल्स मैकेना अपने यूट्यूब चैनल 'Miles Chronicles' के माध्यम से अपनी भिन्न जेंडर तथा यौनिक पहचान की चर्चा के लिए जाने जाते हैं। माइल्स ने अपने एक विडियो के माध्यम से होमोफोबिक/ट्रांसफोबिक मानसिकता को दर्शाता है। माइल्स को जेंडर शल्य चिकित्सा तथा हॉर्मोन थेरेपी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा जिसका उल्लेख उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी किया हैं।

थॉमस बैटी (1974-वर्तमान) : थॉमस बैटी का जन्म सन् 1974 में हुआ था। थॉमस बैटी अमेरिकी लेखक तथा ट्रांसजेंडर एवं यौनिक अधिकारों के समर्थक हैं। थॉमस एक ट्रांसपुरुष हैं। इनका जन्म महिला (यौनिक अंगों के आधार पर) के रूप में हुआ था। बाद में इन्हें ऐहसास हुआ कि ये एक पुरुष है। जिसके कारण इन्होने स्वयं को 'Gender Affirmative Therapy' के माध्यम से स्वयं को पुरुष के रूप में परिवर्तित किया किन्तु अपने गर्भाशय को अपने शरीर से अलग नहीं किया। बाद में थॉमस बैटी ने एक स्त्री से प्रेम व विवाह किया। विवाहोपरांत जब थॉमस को पता चला कि उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपने गर्भाशय की मदद से गर्भधारण कर अपने बच्चे को जन्म दिया।

स्लोविनिया के प्रसिद्ध लेखक ब्रेन मजेटिक गे ऐक्टिविस्ट हैं जिन्होंने मिशेल फुको सहित जीन जैनी तथा रैम्बो के साहित्य का स्लोविनियन भाषा में अनुवाद किया। उन्हें उनकी सामलैंगिक प्रेम कविताओं के लिए भी जाना जाता है।

फ़िनिश कवि गुन्नार ब्योरलिंग स्वीडिश भाषी हैं। लम्बे समय तक अपनी भिन्न यौनिकता के कारण उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इतिहासकार सलीम किदवई एक ऐसा नाम हैं जिन्होंने भारत में एलजीबीटीक्यूजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने और चर्चा के केंद्र में लाने जैसा महत्वपूर्ण काम किया। सलीम किदवई उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने गे होने को स्वीकार कर कमिंग-आउट[19] किया। मध्ययुग तथा आधुनिक भारत से संबंधित उनके कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। सलीम किदवई 'सेम सेक्स लव इन इंडिया' जैसे प्रसिद्ध पुस्तक के सह-संपादक भी रह चुके हैं।

कराची, पाकिस्तान की 29 वर्षिय ट्रांसजेंडर महिला कामी सिड को उनकी प्रतिभा, ज्ञान, साहस, बहादुरी और आकर्षण के लिए जाना जाता है। कामी पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मुस्लिम

समुदाय की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता एवं कुशल वक्ता के रूप में जानी जाती है।

तमाम सकारात्मक पक्षों के बावजूद अब भी एलजीबीटीक्यूजन को अपने अस्मिता और अधिकार को स्थापित करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अब भी भारतीय समाज इस मानस के साथ जी रहा है कि तयशुदा यौनिक अभिविन्यास के साथ जीने वाला मनुष्य ही इस समाज के लिए आदर्श है। तयशुदा यौनिक अभिविन्यास के पश्चात सृजन और संतानोत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसे ही भारतीय समाज मूल मानता है। और इस रूप में उस संबंध को ही हितकर समझता है। ऐसे में आज भी समाज इस तरह के संबंधों के लेकर बहुत सजग बहुत सहज और सरल नहीं हो पाया है। इसीलिए एलजीबीटीक्यूजन को अपने अस्मिता, मानसिक एवं शारीरिक चुनाव की स्वीकृति के लिए अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

संदर्भ :

[1] . वर्मा, शुभा (प्रथम संस्करण : 1985). अनाम रिश्तों के नाम, दिल्ली : विवेक प्रकाशन, पृष्ठ 206-207

[2] . खेतान, (डॉ.) प्रभा (प्रथम संस्करण : 2004). बाज़ार के बीच: बाज़ार के खिलाफ, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृष्ठ.174 -175

[3] . वही, पृष्ठ. 175

[4] . वही, पृष्ठ. 172-173

[5] . वॉयसिज अगैन्स्ट 377 (संस्करण : 2005). अधिकार हो सबके लिए

[6] . वही, पृष्ठ. 18-20

[7] . वॉयसिज अगैन्स्ट 377 (संस्करण : 2005). अधिकार हो सबके लिए

[8] . http//www.apa.org/pi/lgbpolicy/against.html

[9] . अरविन्द नारायण, तरूनभ खेतान. मेडिकलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी : अ ह्यूमन राइट्स अप्रोच में उद्धृत

[10] . www.ngltf.org

[11] . http//www.psych.org/public_info/homose~1.cfm

[12] . http//www.apa.org/pi/lgbc/guideline.html#top

[13] . www.who.org

[14] . http//icmr.nic.in/home.htm

[15] . अर्धेक आकाश, लिंग वैषम्य विरोधी पत्रिका,(जनवरी 2014). पृष्ठ. 6

[16] . कमिंग-आउट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एलजीबीटीक्यूजन पहले स्वयं को और फिर दूसरों के सामने अपनी पहचान को व्यक्त करते हैं।

[17] . नंदी, आशिष, अभय कुमार दुबे (अनु.) (प्रथम संस्करण : 2019). जिगरी दुश्मन, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृष्ठ. 70-71

[18] . त्रिपाठी, लक्ष्मीनारायण (प्रथम संस्करण : 2015). मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृष्ठ. 138

[19] . कमिंग-आउट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एलजीबीटीक्यूजन पहले स्वयं को और फिर दूसरों के सामने अपनी पहचान को व्यक्त करते हैं।